

नोट :- किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों से समकक्षता शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अर्थात् तथा फारसी में फाजिल कागिल, आलिय, मौलवी, मुंशी तथा त्रफिज़ के समकक्ष उपाधियों उक्त प्रयोजन हेतु मान्य होगा तथा अर्हकारी योग्यता में 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा।

नियम 10 :

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
10 (ग) आलिया स्तर उपर्युक्त के अतिरिक्त- (अ) मुंशी व कागिल (फारसी) हेतु 20 छात्र तक एक अध्यापक 40 छात्र तक दो अध्यापक आदि	10 (ग) आलिया स्तर उपर्युक्त के अतिरिक्त- (अ) मुंशी, मौलवी, आलिय, कागिल, फाजिल (अरबी/फारसी) हेतु 20 छात्र मयः एक अध्यापक, 40 छात्र तक दो अध्यापक आदि।

नियम 11 :

तहत्तानिया व फौकानिया के लिये 5 कमरे 20X15 अथवा 300 वर्ग फीट के आलिया कक्षाओं के लिये 2 कमरे 20X15 अथवा 300 वर्ग फीट के प्रधानाध्यापक, पुस्तकालय तथा कार्यालय के लिये 3 कमरे 15X10 अथवा 150 वर्ग फीट के।	तहत्तानिया के लिये 3 कमरे 20X15 अथवा 300 वर्ग फीट के। फौकानिया के लिए 20X15 के 3 कमरे (तहत्तानिया स्तर के तीन कमरों के अतिरिक्त) अथवा 300 वर्ग फीट के। आलिया के लिये 20X15 के 2 कमरे अथवा 300 वर्ग फीट के (तहत्तानिया व फौकानिया के 6 कमरों के अतिरिक्त) प्रधानाध्यापक पुस्तकालय तथा कार्यालय के लिए 3 कमरे 15X10 अथवा 150 वर्ग फीट के।
--	--

नियम 13 :

न्यूनतम छात्र संख्या आलिया कक्षाओं हेतु 8 व शेष कक्षाओं हेतु 60 कुल 68 होगी।	न्यूनतम छात्र संख्या निम्नलिखित होगी: क. तहत्तानिया 60 छात्र ख. फौकानिया 40 छात्र (तहत्तानिया के अतिरिक्त) ग. आलिया 8 छात्र
--	--

उपरोक्त सीमा तक राजाज संख्या : 3367/15-17-87-53(5)-86 दिनांक 22 अगस्त, 1997 उपरोक्त सीमा तक संशोधित सबझा जायेगा, शेष नियम/व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

भवदीय
ओम प्रकाश
सचिव।